09/05/2008

08/05/201

00

CHENNAI

CHENNAI

TAMILNADU

3

27/01/1984



# MITHYARAJ KOTHANDAPANI INDIAN

# अन्त Priziole REPUBLIC OF

INDIA

IND



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरीकार हो, यह पार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आज़ादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें क्रिसकी उसे आवश्यकता हो ।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

> भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE



कृते क्षेत्रीय पार - पत्र अधिकारी For Regional Passport Officer चेन्नई / Chennai

# ं पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने को निकटतम भारतीय भित्रान / चौकी पर पंजीकृत करवा तें ।

### घेतावनी

यह पासपोर्ट पारत सरकार की सम्पति है। पालपोर्ट अधिकारी से इस पासपोर्ट के संदर्भ में कोई सुचना मिलने पर बिसमें इसे सुपूर्व करना शामिल है, उसका तुरुव उम्नुपालन किया जाएं।

बड़ पासपोर्ट डाफ क्रांस किसी भी देश से बाहर न भेजा चाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके क्रांस प्रापिकृत व्यक्ति के करूपे में डी होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के मेराबरण या निकृत नहीं किया जाना चाहिए 1

पासपोर्ट मुख जाना, चौरी हो जाना या नष्ट हो जाने पर उसकी रिपोर्ट तत्काल भारत में निकटतम भावता हुए बाना, पास का जाता था नक का जाता पर उठका स्थान स्वतका भारत था तकाठान था भावपोर्ट प्रचितकारी को (तका धारे सारक निर्देश में हो) निकटनम भारतीय मिशान को और स्थानीय पुनिस को दो जानी चाहिए। निक्शेषित पुछताछ के प्रस्तान ही प्रतिपूरक नामपोर्ट जारी किया जागमा ।

# REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGIS-TER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

# CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IM-

MEDIATELY.
PASSPORT SHOULD NOT HE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST,
IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF
A FERSON AUTHORISED BY THE HOLDER IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

of Fathor/Legal Guardian

ance as one Mame of Mother KOTHANDAPANI

पति या पतनी का नाम /Name of Spo SUSILA

VEMBULIAMMAN KOIL 2/106,

STREET

048

009

VANDALUR, CHENNAI TAMILNADU

पुराने पारापोट का नं. और इसके जारी सोने का रवान एवं लिथि /Old Passport No.

date

with

MASA00014208